प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक : 353 / 2010

अपीलार्थीगण : हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड व अन्य।
उत्तरवादीगण

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण: आयुष पेट्रोल पंप व अन्य।

निर्णय विचार हेतु

सही/-

न्यायाधीश

दिनांक 01/01/2011

माननीय श्री आर.एन.चंद्राकर, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 03.01.2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

रिट अपील क्रमांक 353/2010

अपीलार्थीगण

उत्तरवादीगण

1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. द्वारा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, मदीना मन्ज़िल, द्वितीय मंज़िल, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (छ. ग.)

2. डिपो प्रबंधक द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मन्दिरहसौद, रायपुर (छ. ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. आयुष पेट्रोल पम्प द्वारा स्वत्वधारी डॉ. एम. के. अग्रवाल, पिता स्व. एम. एल. अग्रवाल, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी अग्रवाल मेडिकल स्टोर्स, बस स्टैंड चरौदा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

2. सचिव द्वारा भारत संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

उपस्थित:

श्री पी. एस. कोशी सह श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री संजय के. अग्रवाल सह श्री जितेन्द्र पाली, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी क्रमांक 1।

श्री आनंद वर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी क्रमांक 2/भारत संघ ।

<u>निर्णय</u>

<u>(दिनांक 03 जनवरी 2011 को उद्घोषित)</u>

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. पक्षकारों की सहमति से, अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थीगण द्वारा उत्तरवादी-फर्म को दिनांक 23 मार्च, 2005 से प्रभावी रूप से एम.एस. और एच.एस.डी. सहित पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय हेतु डीलर के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तरवादी पर यह दायित्व था कि, उत्पादों का विक्रय करने वाले डिपो पर प्राप्त आपूर्तियों के आधार पर किये जाने वाले वितरण का पूर्ण मूल्य अदा करे। पक्षकारों के मध्य डीलरशिप करार के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार, उत्तरवादी से यह भी अपेक्षित था कि वह की जाने वाली आपूर्ति के विरुद्ध नकद या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करे, तथापि, अपीलार्थी-निगम के पास क्रेडिट/चेक सुविधा द्वारा उत्पादों की आपूर्ति करने का विवेकाधिकार था और तदनुसार प्रत्यर्थी-डीलर को चेक सुविधा प्रदान की गई थी। प्रत्यर्थी ने टैंक/ट्रक के माध्यम से प्रत्येक उत्पाद की आपूर्ति के विरुद्ध अपीलार्थी-निगम के पास कोरे हस्ताक्षरित चेक रखे थे। अपीलार्थी-निगम द्वारा बैंक में चेक प्रस्तुत किए गए। डीलरशिप करार के खंड 10 के अनुसार, बैंक में प्रस्तुत चेकों को किसी भी कटौती के बिना, अनुमत

क्रेडिट अवधि के भीतर, भुगतान किया जाना अपेक्षित था, तथापि, प्रत्यर्थी ने उसे आपूर्ति किए जाने के बावजूद लंबी अवधि तक चेकों का अनादरण जारी रखा और, इसलिए, दिनांक 30.07.2009 से, उसकी आपूर्तियां निलंबित कर दी गईं।

3. अपीलार्थी ने उत्तरवादी को राशि के भुगतान की व्यवस्था करने तथा भुगतान करने में विलंब कारित करने का कारण स्पष्ट करने हेतु, दिनांक 01.08.2009 का नोटिस जारी किया। उसे पुनः दिनांक 07.08.2009 का एक नोटिस तामील किया गया, जिसमें अनादरित लिखतों का विवरण, उपरोक्त अनादरित चेकों के पेटे ड्राफ्ट भुगतान का विवरण तथा प्रत यर्थी के विरुद्ध बकाया शेष राशि को सूचित किया गया था। प्रत्यर्थी से स्थानीय चेकों के स्थान पर बाहर के चेक देने के कारण को स्पष्ट करने की भी अपेक्षा की गई थी।

4. प्रत्यर्थी ने दिनांक 25.08.2009 को अपना जवाब प्रस्तुत किया और विलंब को स्पष्ट करने का प्रयास किया तथा यह भी सूचित किया कि दिनांक 04.07.2009 को प्राप्त आपूर्ति के पेटे का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 17.08.2009 द्वारा किया गया था। प्रत्यर्थी को दिनांक 25.08.2009 को एक कारण बताओ नोटिस तामील किया गया जिसमें उससे डीलरशिप करार के खंड 10, 11, 12, 42, 44, 55(जी) और 55(के) के उल्लंघन, जो उसके द्वारा कारित किए गए, को स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई तथा दिनांक 24.02.2005 के डीलरशिप करार के अंतर्गत उचित कार्यवाही विचारित की गई। प्रत्यर्थी ने कारण बताओ नोटिस का अपना जवाब दिनांक 27.08.2009 को प्रस्तुत किया है और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है जिनमें चेक अनादरित हुए थे। जवाब की प्राप्ति के पश्चात, अपीलार्थी-निगम द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2009 के माध्यम से डीलरशिप करार को समाप्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रत्यर्थी ने डीलरशिप समाप्ति के आदेश के विरुद्ध एक रिट याचिका प्रस्तुत की और जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुलग्नक-ए/1 के आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया ।

6. श्री पी.एस. कोशी, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि डीलरशिप करार में उपबंधित मध्यस्थम खंड 66 के दृष्टिगत, रिट याचिका पोषणीय नहीं थी क्योंकि प्रत्यर्थी मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु उपयुक्त आवेदन करके माध्यस्थम खंड का अवलंब ले सकता था। प्रत्यर्थी द्वारा करार के खंड 10, 11, 12, 42, 43, 44, 55(जी) और 55(के) का स्पष्ट उलंघन किया गया था और जिसे केवल इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता था कि उसने अपने विरुद्ध देय संपूर्ण राशि प्रेषित कर दी थी। प्रत्यर्थी का यह कर्तव्य था कि वह यह सुनिश्चित करे कि अपीलार्थीगण द्वारा की गई आपूर्तियों के विरुद्ध जारी किए गए चेक का सम्यक रूप से भुगतान हो और चेकों का अनादरण खंड 55 (जी) का उल्लंघन है; प्रथम अवसर के लिए डीलरशिप करार को समाप्त करने वाले दाण्डिक खंड का प्रयोग न किए जाने को अपीलार्थी-निगम की ओर से ऐसा अधित्यजन नहीं माना जा सकता जो उसे चेकों के अनादरण की श्रृंखला के पश्चात उक्त का प्रयोग करने से निरर्हरित करता हो। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि सभी भुगतान मांग के 4 दिनों के भीतर किए गए थे, अभिलेख के विपरीत है क्योंकि मांगें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.08.2009 को चेक दिनांक 04.07.2009 राशि ₹4,57,067.92/- तथा चेक दिनांक 16.07.2009 राशि ₹7,45,590/- के अनादरण के विरुद्ध भुगतान हेतु मांग की गई थी; उपरोक्त मांग के विरुद्ध भुगतान डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 17.08.2009 के माध्यम से किया गया जो अनुबंध के अंतर्गत विहित अवधि से काफी परे था। प्रत्यर्थी ने स्वयं दिनांक 25.08.2009 के कारण बताओ नोटिस के अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि उसने उपरोक्त भुगतान दिनांक 17.08.2009 को किया, जो डीलरशिप अनुबंध के खंड 55(जी) का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. ***सिक्किम सुब्बा एसोसिएट्स विरूद्ध सिक्किम राज्य***[1] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए, यह तर्क किया गया है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, प्रत्यर्थी/याचिकाकर्ता के आचरण के दृष्टिगत, जिसने उसे की गई आपूर्तियों के पेटे भुगतान करने के अपने वचन को पूरा करने में बार-बार व्यतिक्रम किया, अपीलार्थी के विरुद्ध अधित्यजन का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

8. दूसरी ओर, श्री संजय के. अग्रवाल, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि संपूर्ण राशि सहित ब्याज डीलरशिप समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने से पूर्व ही डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित कर दी गई थी। अपीलार्थी ने चेकों के अनादरण के पश्चात दीर्घकाल तक उत्पादों की आपूर्ति जारी रखी, जबकि करार का खंड 55(जी) स्पष्टतः अनुबंधित करता है कि यदि डीलर किसी भी कारण से निगम की लेखा बहियों में दर्शित अपने बकाया देय की संपूर्ण राशि का भुगतान निगम की मांग के चार दिनों के परे नहीं करता है, तो निगम को अपना संविदा समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। अपीलार्थी ने खंड-55(जी) के अनुसार संविदा को समाप्त नहीं किया और वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में अधित्यजन के सिद्धांत लागू होंगे। चार दिनों के भीतर भुगतान की पूर्ति के लिए प्रत्यर्थी को कोई मांग हेतु नोटिस जारी नहीं की गई है और कारण बताओ नोटिस संपूर्ण राशि के जमा किए जाने के पश्चात जारी किया गया था और इस तरह, यह प्रकट नहीं होता कि संविदा में कोई व्यतिक्रम था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

10. डीलर की नियुक्ति हेतु आशय पत्र अनुलग्नक-पी/2 दिनांक 21 जून, 2004 के माध्यम से जारी किया गया था और तत्पश्चात पक्षकारों के मध्य दिनांक 24 फरवरी, 2005 को डीलरशिप करार (अनुलग्नक-पी/3) संपन्न किया गया।

---

[1] (2001) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 629

11. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आपूर्तियों के एवज में नकद या डिमांड ड्राफ्ट में भुगतान के स्थान पर प्रत्यर्थी क्रमांक 1/डीलर को विस्तारित चेक सुविधा प्रदान की थी। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को दिनांक 1 अगस्त, 2009 के ज्ञापन (अनुलग्नक-पी/5) की तामीली की गई, जिसमें मई, 2009 और जुलाई, 2009 के मध्य रू.57,02,712.49/- की कुल राशि के लिए उनके द्वारा आहरित चेकों (संख्या में 12) के अनादरण की सूचना दी गई थी। इस पत्र व्यवहार में जुलाई, 2009 के महीने में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रू.30,69,678.55/- के भुगतान का भी विवरण दिया गया था। डीलर को शेष राशि का भुगतान करने के लिए, दिनांक 27 जुलाई, 2009 और 29 जुलाई, 2009 के मध्य आहरित चेकों के समाशोधन को सुनिश्चित करने के लिए, उपरोक्त चेकों के अनादरण का कारण स्पष्ट करने के लिए आह्वान किया गया था। उन्हें सकल वित्तीय अनियमितता हेतु अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए भी आह्वान किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उसे दिनांक 7 अगस्त, 2009 के एक अन्य ज्ञापन (अनुलग्नक-पी/6) की तामीली की गई, जिसे प्रत्यर्थी ने दिनांक 11 अगस्त, 2009 को प्राप्त किया, जिसमें अगस्त और सितंबर, 2008 के दौरान अनादरित चेकों का विवरण और दिनांक 5 अगस्त, 2009 को ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का विवरण उल्लिखित था। उसे विशेष रूप से अवगत कराया गया कि दिनांक 4-7-2009 के चेक के विरुद्ध रू.4,57,067.92/- की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। डी.डी. के माध्यम से प्राप्त रू.4,66,134.65/- की राशि को समस्त अनादरित चेकों के ब्याज के रूप में समायोजित किया गया था और प्रत्यर्थी को मूलधन के रूप में रू.15,58,498.92/- तथा अनादरित चेक के लिए ब्याज की शेष राशि के रूप में रू.30,000/- का भुगतान करने के लिए सूचित किया गया था। डीलर को

भुगतान के विपरीत बाह्य स्थान चेक देने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए आह्वान किया गया था।

13. उपर्युक्त पत्र व्यवहारों के प्रत्युत्तर में, प्रत्यर्थी ने अनुलग्नक-पी/7 दिनांक 25-8-2009 के माध्यम से जवाब दिया, जिसमें उन विशिष्ट तिथियों का विवरण दिया गया जिन पर अनादरित चेक वापस हुए तथा जिनके विरुद्ध डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किए गए, जिसमें रू.5,98,742.65/- की ब्याज राशि के रूप में किए गए भुगतानों का भी उल्लेख था। आगे यह स्पष्ट किया गया कि उसके पिता किसी रोग से ग्रसित थे और बाद में उनका देहान्त हो गया, अतः भुगतान में चूकें हुईं। यह भी स्पष्ट किया गया कि डीलर एक पंजीकृत चिकित्सक है और समस्या कर्मचारियों द्वारा स्थिति के कुप्रबंधन के कारण उत्पन्न हुई। उपर्युक्त जवाब प्राप्त होने के पश्चात, दिनांक 25 अगस्त, 2009 का कारण बताओ नोटिस (प्राप्ति दिनांक 27 अगस्त, 2009) प्रत्यर्थी को जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख था कि वित्तीय अनियमितता के कारण 30 जुलाई, 2009 से आपूर्ति निलंबित की जा चुकी है और उसे 7 दिनों के भीतर यह कारण बताने हेतु आह्वान किया गया कि डीलरशिप करार के खंड 10, 11, 12, 42, 43, 55(जी) एवं 55(के) के अंतर्गत कार्रवाई क्यों न प्रारंभ की जाए (अनुलग्नक-पी/8)। कारण बताओ नोटिस के जवाब में, उपर्युक्त अनियमितताओं के संबंध में पूर्व उल्लेखित कारणों का पुन: उल्लेख किया गया कि समस्त बकाया भुगतान ब्याज सहित अदा कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया है— यद्यपि याचिकाकर्ता ने अपीलार्थी द्वारा उसे की गई आपूर्तियों के संबंध में उसके द्वारा निर्गत चेकों का सम्मान नहीं किया, तथापि दिनांक 1 अगस्त, 2009 के नोटिस की प्राप्ति के उपरांत, समस्त राशि अर्थात् मांग के अनुसार मूलधन सहित ब्याज, 25 अगस्त, 2009 से पूर्व अदा कर दी गई। कारण बताओ नोटिस में, खंडों का केवल उल्लेख मात्र है; अन्य खंडों के अंतर्गत विशिष्ट उल्लंघनों

का कोई विवरण नहीं दिया गया, फलतः याचिकाकर्ता को उसका प्रत्युत्तर देने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था। खंड 55(जी) के अधीन संविदा समाप्त करने हेतु मांग किया जाना आवश्यक है और मांग की तिथि से 4 दिवस के भीतर भुगतान न होने पर निगम संविदा समाप्त कर सकता है। यहाँ के प्रत्यर्थी/अपीलार्थीगण ने तब तक कोई कदम नहीं उठाया जब तक कि समस्त भुगतान नहीं कर दिए गए, अतः यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि यहाँ के प्रत्यर्थी/अपीलार्थीगण के अधिकारीगण ने अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का उसके अक्षर एवं भावना के अनुरूप प्रयोग किया है और आदेश मनमाना एवं अनुचित प्रतीत होता है। आगे यह भी प्रतिपादित किया गया कि अनुबंध के खंड-66 के अधीन विवाद को मध्यस्थ के समक्ष संदर्भित करने के प्रावधान के होते हुए भी न्यायालय को याचिका ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और अपीलार्थी/निगम की कार्यवाही में निहित मनमानी की न्यायालय द्वारा जांच करना संभव है। मांग नोटिस के पश्चात भुगतान करने में याचिकाकर्ता की विफलता के तुरंत पश्चात निगम ने उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की और इस प्रकार, निगम डीलरशित करार के खंड-55(जी) या (के) के प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहा है और यही अधित्यजन तथा उपमति का गठन करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा जारी चेक विभिन्न अवसरों पर अनुलग्नक-पी/5 एवं पी/6 के ज्ञापनों में वर्णित अनुसार अनादरित हुए तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किए गए। अनुलग्नक-पी/5 के मांग नोटिस द्वारा, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को चेक क्रमांक 421006 दिनांक 4 जुलाई, 2009, राशि ₹4,57,067.92/- के अनादरण के संबंध में अवगत कराया गया। उपर्युक्त मांग नोटिस प्रत यर्थी क्रमांक 1 को दिनांक 5 अगस्त, 2009 को प्राप्त हुआ। उपर्युक्त चेक के भुगतान के संबंध में पुनः मांग अनुलग्नक-पी/6 दिनांक 7 अगस्त, 2009 द्वारा की गई और वह मांग

नोटिस प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को दिनांक 11 अगस्त, 2009 को प्राप्त हुआ। दिनांक 25 अगस्त, 2009 के जवाब (अनुलग्नक-पी/7) से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने उपर्युक्त चेक के प्रति देय भुगतान डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 739889 दिनांक 17 अगस्त, 2009 के माध्यम से ₹4,57,068/- की राशि के लिए किया।

16. करार का खंड-55, करार के खंड 55 (ए) से 55 (एल) तक में वर्णित किसी भी परिस्थिति के "घटित होने पर या उसके पश्चात किसी भी समय इस करार को तत्काल समाप्त करने" के लिए निगम को सशक्त करता है। खंड-55 (जी) एवं (के) निम्नानुसार हैं:-

"(जी) यदि डीलर किसी भी कारण से निगम को पूर्ण भुगतान करने में या निगम की लेखा बही में प्रदर्शित अपनी बकाया राशि के भुगतान में, निगम द्वारा मांग के 4 दिनों के पश्चात चूक करता है।

(के) यदि डीलर या तो स्वयं या अपने सेवकों या अभिकर्ताओं के माध्यम से कोई ऐसा कृत्य कारित करता है या कारित होने देता है, जो, निगम के तत्समय मुख्य/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक, जिनका निर्णय अंतिम होगा, की राय में निगम या उसके उत्पादों के हित या सुनाम के प्रतिकूल है, तो मुख्य/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक ऐसे निर्णय के लिए कारण बताने हेतु बाध्य नहीं होंगे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. प्रत्यर्थी क्रमांक 1/याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अनादरित चेक के भुगतान के संबंध में पहली बार दिनांक 1 अगस्त, 2009 को तथा उसके पश्चात दिनांक 7 अगस्त, 2009 को मांग की गई थी। अनुलग्नक-पी/6 की सूचना प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को दिनांक 11 अगस्त, 2009 को प्राप्त हुई, जबकि

अनुलग्नक-पी/7 के दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा उपर्युक्त चेक के विरुद्ध भुगतान केवल दिनांक 17 अगस्त, 2009 को किया गया था।

18. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि डीलर द्वारा प्रदत्त राशि गलती से ब्याज के भुगतान के विरुद्ध समायोजित की गई थी और, इसलिए, निगम को खंड 55(जी) के अंतर्गत अनुबंध समाप्त करने का अधिकार नहीं था, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनके स्वयं के दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त विवाद न तो डीलर द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में उठाया गया था और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विवादित किया गया था। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने ब्याज के विरुद्ध प्रदत्त राशि को स्वीकार करते हुए अपनी देयता को स्वीकार किया।

19. हमारे विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी/निगम के अधिकारियों का आचरण मनमाना और अयुक्तियुक्त था अथवा क्या निगम ने मांग के चार दिन के भीतर भुगतान न करने में डीलर की विफलता के तुरंत पश्चात कोई कदम न उठाकर और बाद में ब्याज सहित भुगतान को स्वीकार करके अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकार को उपमत और अधित्यजन किया?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य विरूद्ध सुपर हाईवे सर्विसेज और अन्य**[2] के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध परीक्षण संबंधी नोटिस की तामिली को साबित करने के लिए कोई ग्राहय साक्ष्य नहीं था, जिससे कि डीलर परीक्षण के समय उपस्थित हो सके, तो यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया तथा बर्खास्त अवैध था। तथापि, वर्तमान प्रकरण की तथ्यात्मक परिस्थितियाँ भिन्न हैं, क्योंकि इस प्रकरण में प्रत्यर्थी ने मांग के 4 दिनों के भीतर अपीलार्थी द्वारा की गई आपूर्तियों के विरुद्ध भुगतान करने में चूक की थी।

[2] (2010) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 321

21. निर्विवादित रूप से प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने आपूर्तियों के लिए भुगतान के संबंध में अनेक चूकें और अनियमितताएँ की थीं, जैसा कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा निर्गत चेकों के अनादरण से स्पष्ट होता है। अपीलार्थी के अधिकारियों ने प्रथम चूक के घटित होने पर अनुबंध को समाप्त न करके प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को भुगतान को नियमित करने हेतु विशेष मांग नोटिस जारी करके समय प्रदान किया, जैसा कि अनुलग्नक-पी/5 एवं पी/6 से स्पष्ट होता है। यथा-निर्दिष्ट चेक दिनांक 04.07.2009 के विरुद्ध भुगतान हेतु विशेष मांग पहले दिनांक 01.08.2009 तथा तत्पश्चात् 07.08.2009 को जारी किए जाने के पश्चात् भी भुगतान स्वीकृत रूप से दिनांक 17.08.2009 को किया गया अर्थात् अनुबंध की खंड-55(जी) में निर्धारित 4 दिनों की अवधि के बहुत बाद में। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी निगम के अधिकारियों की कार्रवाई को मनमाना एवं अनुचित नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अनुलग्नक-पी/5 एवं पी/6 के मांग नोटिसों तथा अनुलग्नक-पी/7 में दिये गये डीलर के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को अपने द्वारा की गई चूकों का ज्ञान था और उसने उन्हीं को स्वीकार किया।

23. अब, प्रश्न यह है — क्या अनुबंध के अधीन नियत अवधि के भीतर भुगतान करने में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की विफलता के तुरंत पश्चात् कार्यवाही न करना और बाद में भुगतान स्वीकार कर लेना उपमति और अधित्यजन गठित करता है?

24. खंड 55(जी) और 55(के) के मात्र अवलोकन से, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि निगम द्वारा मांग के 4 दिनों के पश्चात निगम को पूर्ण भुगतान करने में या निगम की लेखा बही में प्रदर्शित अपनी बकाया राशि के भुगतान में डीलर द्वारा चूक किए जाने पर तत्काल या उसके पश्चात किसी भी समय निगम करार को समाप्त कर सकता है। करार के अंतर्गत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त कार्यवाही, विफलता के तुरंत पश्चात ही की जानी है।

25. **सिक्किम सुब्बा एसोसिएट्स** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, अधित्यजन और उपमति के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

> "अधित्यजन में किसी ज्ञात, विद्यमान विधिक अधिकार, लाभ, सुविधा, दावे या विशेषाधिकार, जिसका, यदि ऐसा अधित्यजन न होता तो पक्षकार ने उपभोग किया होता, का सचेत, स्वैच्छिक और आशयित त्याग या परित्याग शामिल है। इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य करार ऐसा है कि इसकी पूर्ति व्यतिकारी वचनों, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल गठित करते हैं, के पारस्परिक पालन पर निर्भर करती है और परिकल्पित एवं समाविष्ट पारस्परिकता ऐसी है कि एक पक्षकार जो अपने स्वयं के व्यतिकारी वचन का पालन करने में विफल रहता है, वह दूसरे पक्षकार के पालन के लिए दावे का समर्थन नहीं कर सकता और दूसरे पक्षकार द्वारा पालन न किए जाने के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने की हद तक नहीं जा सकता। जो समानता चाहता है उसे समानता का पालन करना चाहिए और जब विलंबित पालन की माफी या स्वीकृति, चूककर्ता के भविष्य के अच्छे आचरण और वचनों के पालन पर सशर्त थी, तो तथाकथित अधित्यजन को सदैव के लिए और अपने आप में पूर्ण नहीं माना जा सकता, जिससे कि राज्य को, इस प्रकरण में, वैध रूप से निराकरण करने और स्वीकृत तथ्य पर अपने भाग का पालन करने से इंकार करने की अपनी शक्ति से वंचित किया जा सके, कि अपीलार्थीगण की चूक इस प्रकरण में अधिनिर्णय पारित होने तक भी जारी रही। जहाँ तक चूकों और लॉटरियों को पूर्वबंध अथवा आगे रोके जाने के राज्य के परिणामस्वरूप हकदारी या अधिकार का संबंध है, राज्य ने अपने स्वयं के हितों और साख की सुरक्षा के लिए, अपीलार्थीगण की लगातार चूकों से उत्पन्न कष्टों को सहते हुए भी लॉटरियों का संचालन जारी रखा है। इसका लाभ अपीलार्थीगण द्वारा नहीं उठाया जा सकता या मध्यस्थ द्वारा इसे किसी उन्मुक्ति का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दावा करने के लिए आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता कि उनकी बाद की आवर्ती और लगातार चूकों के लिए उन्हें स्थायी रूप से क्षमा कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है और अधित्यजन कर दिया गया है, ताकि अनुबंध के दूसरे पक्षकार के रूप में राज्य की अनुबंध समाप्त करने की शक्ति को हमेशा के लिए नकारा या वंचित किया जा सके और एतद्द्वारा स्वयं को उन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से मुक्त किया जा सके जो उन्हें ऐसी चूकों के कारण भुगतनी पड़ी थीं। एक बार जब अपीलार्थी नियत समय के भीतर अग्रिम रूप से मूल्य राशि जमा करने में विफल रहे, चूँकि समय सारभूत था क्योंकि ड्रा के बाद घोषित पुरस्कारों का भुगतान केवल जमा की गई पुरस्कार राशि में से ही किया जाना था, राज्य न केवल निरंतर गलतियों या चूकों के कारण निराकरण करने के अपने अधिकारों के भीतर था, बल्कि पिछले आचरण और उल्लंघनों को भी ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के बावजूद कि वे ड्रा राज्य द्वारा अपने स्वयं के कोष से पुरस्कार राशि की घोषणा या वितरण द्वारा पूरे कर दिए गए हैं। इसके विपरीत यह निष्कर्ष कि राज्य ने संविदा भंग कारित किया है, घोर विपर्यय और शब्दों में विरोधाभास के अतिरिक्त कुछ नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा भुगतान करने में अनेक चूकें कारित करने और आपूर्तियों के प्रति भुगतान के विरुद्ध उसके द्वारा लिखे गए चेकों के अनादरित होने के पश्चात्, दिनांक 30-7-2009 से आपूर्तियाँ निलंबित कर दी गई थीं। चूंकि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 मांग की तिथि से 4 दिनों के पश्चात भी अपनी बकाया देय राशि जमा करने में विफल रहा और बाद में उसे ब्याज सहित जमा किया, अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को यह तर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व ही बाद में ब्याज सहित भुगतान स्वीकार करके, अपीलार्थी/निगम ने चूक को क्षमा कर दिया है और

उपमति एवं अधित्यजन का सिद्धांत लागू होगा। यदि निगम ने अपने स्वयं के हित को सुरक्षित करने के लिए अर्थात् प्रत्यर्थी के विरुद्ध बकाया शेष राशि की वसूली हेतु डीलरशिप की समाप्ति की कार्यवाही में विलंब किया, तो यह अधित्यजन और उपमति गठित नहीं करेगा और इसका लाभ प्रत्यर्थी द्वारा नहीं उठाया जा सकता या अधित्यजन का दावा करने के लिए आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।

27. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारा यह मत है कि अनुलग्नक-पी/1 दिनांक 21 दिसंबर, 2009 के द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के डीलरशिप करार की समाप्ति, करार के प्रावधानों के अनुरूप थी और यह डीलरशिप करार के खंड 55(जी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया था।

28. परिणामस्वरूप, रिट अपील स्वीकार की जाती है। रिट याचिका (सी) क्रमांक 7518/2009 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14 सितंबर, 2010 एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा	आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक